न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.170 / प्रा.पत्र / 2017 (GCMS No. 2017 / 00436)	18.12.2017	23.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

छोटा आ. किशन जाति धोबी,
निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 17(2) भूमि आवंट नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 170 / 2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2017 / 00436 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। आवंटन की मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 22.10.2018 को जवाब पेश किया जाकर तहसीलदार बून्दी का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा सं. 2455 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि आवंटी छोटा आ. श्रीकिशन जाति धोबी निवासी ग्राम माटून्दा को दिनांक 04.06.1999 को आवंटन हुई थी, आवंटी छोटा वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि खसरा सं. 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा काश्त नहीं है अपितु बाबूलाल आ. मोडू कौम बैरवा निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी का कब्जा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त भूमि खसरा सं. 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावे।

जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी छोटा पुत्र श्रीकिशन को भूमि पुराने खसरा संख्या 838 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा नवीन केचमेंट खसरा सं. 2455 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं ख.सं. 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा आवंटित हुई थी जिस पर आवंटी को कब्जा एवं दखल दिया गया। लेकिन अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा पर बाबूलाल आ. मोडूलाल जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहा था, इस कारण बाबूलाल के विरूद्ध अप्रार्थी छोटा ने वर्ष 2002 में ही उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में एक वाद संख्या 419/2002 पेश कर रखा है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। बाबूलाल का अप्रार्थी की उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, न ही बाबूलाल का कब्जा हैं बल्कि इस बाबत राजस्व न्यायालय में रेगूलर शूट पेंडिंग है, इस कारण यह प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों ने बाबूलाल से मिलीभगत करके उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय में पेश करवाई है जबकि इस बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में विचाराधीन रेगूलर वाद में हित व अधिकार तय होने है। इस कारण उक्त आवंटन निरस्ती की कार्यवाही पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। एक ही भूमि के संबंध में दो न्यायालय में अलग अलग निर्णय होने की संभावना है इस कारण रेगूलर वाद में उपखण्ड न्यायालय बून्दी में बाद साक्ष्य हितों का निर्धारण होना है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्तुत समरी कार्यवाही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि मिसल संख्या 13/1999 पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा छोटा आ. श्रीकिशन जाति धोबी निवासी ग्राम माटून्दा को दिनांक 04.06.1999 को भूमि खसरा सं. 838 मीन रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा का आवंटन किया गया था। केचमेंट के बाद उक्त आराजी के नये खसरा नं. 2455 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नं. 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा बने। उक्त भूमि खसरा सं. 2457 पर अन्य व्यक्ति बाबूलाल का कब्जा होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम माटून्दा की नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार भूमि खसरा सं. 2455 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं ख.सं. 2457 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा पर आवंटी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी की पत्रावली 210/दावा/2021 बउनवान छोटा बनाम बाबू के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी छोटा द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा.दी. वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी की प्रार्थना पर अवलोकन हेतु उक्त प्रकरण मूल ही वर्तमान में इस पत्रावली पर तलब किया हुआ है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटन निरस्ती की कार्यवाही उस अवस्था में की जानी चाहिए, जहां आवंटन विधिविरूद्ध हो या आवंटी आवंटित भूमि पर काश्त करने का इच्छुक नहीं हो तथा उसने आवंटित भूमि का कब्जा नहीं संभाला हो, किन्तु यहां स्थिति ऐसी नहीं है। यहां आवंटी गैर खातेदार अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा अतिक्रमी के विरूद्ध पहले से ही न्यायालय की शरण में है। ऐसे में गैर खातेदार की उक्त कृषि भूमि बाबत दौराने राजस्व वाद तहसीलदार बून्दी द्वारा पेश की गई हस्तगत कार्यवाही में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है। साथ ही सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी को मूल वाद पत्रावली वापस भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जल्दी–जल्दी तारीख पेशियां दी जाकर प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार बून्दी न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी में जैरकार उक्त वाद के निर्णय उपरांत वादग्रस्त आराजी बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलेक्टर; बून्दी